नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजना हेतु

भारत के राष्ट्रपति ("भारत सरकार" के रूप में)

और

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ("रियायतग्राही" के रूप में)

के मध्य व द्वारा किया गया

समझौता ज्ञापन

दिनांक: 11 अप्रैल, 2018

विषय सूची

1. परिभाषाएं और व्याख्या.. 4
2. भारत सरकार का समर्थन.. 6
3. रियायतग्राही के दायित्व.. 10
4. संयुक्त समन्वय समिति... 11
5. अवधि और समाप्ति.. 12
6. प्रतिनिधित्व और वारंटी.. 12

7. शासी कानून और विवाद निवारण.. 13
8. विविध.. 13
9. अनुलग्नक 1 – पशु संगरोध सेवाएं 16
10. अनुलग्नक 2 – सीएनएस एटीएम सेवाएं 17
11. अनुलग्नक 3 – सीमा शुल्क नियंत्रण 18
12. अनुलग्नक 4 – स्वास्थ्य सेवाएं...19
13. अनुलग्नक 5 – आव्रजन सेवाएं 21
14. अनुलग्नक 6 – मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं................................22
15. अनुलग्नक 7 – पादप संरक्षण और संगरोध सेवाएं........................23
16. अनुलग्नक 8 – सुरक्षा सेवाएं...24

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन (MoU) मुंबई में 11 अप्रैल, 2018 को

निम्नलिखित के मध्य और द्वारा किया गया:

भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के नागर विमाननमंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें आगे "**भारत सरकार**" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल माने जाएंगे);

और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U65200MH2007PTC170174 है और इसका पंजीकृत कार्यालय एयरपोर्ट निदेशक के कार्यालय, टर्मिनल 1-बी, सीएसआई एयरपोर्ट, सांताक्रूज़, मुंबई - 400 099, महाराष्ट्र में स्थित है (जिन्हें आगे "**रियायतग्राही**" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ से इसके प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमति प्राप्त समनुदेशित और प्रतिस्थानी शामिल होंगे)।

(जैसा कि संदर्भ के अनुसार आवश्यक हो, भारत सरकार और रियायतग्राही को आगे सामूहिक रूप से "**पक्षों**" के रूप में और व्यक्तिगत रूप से "**पक्ष**" के रूप में संदर्भित किया गया है)

जबकि:

क. भारत सरकार ("**भारत सरकार**") ने अपने पत्र क्रमांक AV.24011/1/95-VB (Vol.VI) दिनांक 6 जुलाई, 2007 ("**भारत सरकार की मंजूरी**") के माध्यम से, सार्वजनिक निजी भागीदारी (**"पीपीपी"**) के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई में सार्वजनिक उपयोग हेतु हवाईअड्डा (जैसा कि रियायत समझौते में परिभाषित है) स्थापना के लिए उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यधीन अपनी मंजूरी प्रदान की।

ख. भारत सरकार की मंजूरी के आधार पर, महाराष्ट्र सरकार (**"महाराष्ट्र सरकार"**) ने अपने सरकारी संकल्प क्रमांक CID-3307/1541/प्र. क्र.-144/07/न वि-10 दिनांक 30 जुलाई, 2008 **("महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी"**) के माध्यम से, परियोजना (जैसा कि नीचे परिभाषित है) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, और प्राधिकरण (जैसा कि नीचे परिभाषित है) को इसके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

ग. प्राधिकरण द्वारा दिए गए अभ्यावेदन और प्रस्तुतियों के आधार पर, परियोजना के कार्यान्वयन को शुरू करने से पहले आवश्यक लागू अनुमतियां, संबंधित सरकारी एजेंसियों से प्राधिकरण को प्रदान की गई थीं।

घ. रियायतग्राही के निगमन पर, प्राधिकरण और रियायतग्राही ने दिनांक 8 जनवरी, 2018 को एक रियायत समझौता किया ("**रियायत समझौता**"), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन नियमों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई और प्रावधान किया गया जिनके आधार पर रियायतग्राही DBFOT (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण) के आधार पर हवाईअड्डे का विकास, संचालन और रखरखाव करेगा।

ड° भारत सरकार स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लागू कानूनों के अनुसार और इसमें आगे निर्धारित किए जाने वाले कानूनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा रियायतग्राही को निरंतर समर्थन और कुछ अधिकारों को प्रदान करने की आवश्यकता है, और यह परियोजना के लिए संसाधनों जुटाने हेतु एक आवश्यक पूर्व शर्त है।

च. रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते में प्रवेश करने और परियोजना के सुचारू संचालन और व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के दायित्वों के अलावा, भारत सरकार कुछ सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

अब एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमति बनी है:

1. **परिभाषाएं और व्याख्या**

1.1 **परिभाषाएं** इस समझौता ज्ञापन (MoU) में, उपयोग किए गए अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्द (और जो इसमें परिभाषित नहीं हैं) लेकिन रियायत समझौते के तहत परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो रियायत समझौते के तहत उस शब्द को दिए गए हैं सिवाय इसके कि जहां संदर्भ से अन्यथा आवश्यक हो और जब तक कि नीचे या इस समझौता ज्ञापन में विशेष रूप से अन्यथा परिभाषित न किया गया हो।

"**हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारी**" का अर्थ भारत सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी या हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कार्यों को करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी होगा;

"**पशु संगरोध सेवाएं**" का अर्थ संगरोध सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का हिस्सा हैं) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 1 में निर्धारित किया गया है;

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

"**पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि**" का अर्थ पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"**लागू परमिट**" का अर्थ इस समझौता ज्ञापन के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत भारत सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग/एजेंसी से प्राप्त किए जाने वाले और/या उसके बाद बनाए रखे जाने वाले सभी मंजूरी, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, सहमति, अनुमोदन और छूट से होगा;

"**मध्यस्थ न्यायाधिकरण**" का अर्थ नीचे खंड 7.3.3 में इस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"**प्राधिकरण**" का अर्थ सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड से होगा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U99999MH1970SGC014574 है और इसका पंजीकृत कार्यालय निर्मल, दूसरी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र में है और जिसका प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है;

"**प्राधिकरण प्रतिनिधि**" का अर्थ प्राधिकरण का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;

"**सीएनएस/एटीएम सेवाएं**" का अर्थ हवाई यातायात प्रबंधन के लिए संचार, दिक्चालन और निगरानी प्रणालियों से संबंधित सेवाओं से होगा (जो आरक्षित सेवाओं का हिस्सा हैं), जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 2 में निर्धारित किया गया है;

"**सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रतिनिधि**" का अर्थ सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"**रियायत समझौता**" का वही अर्थ है जो ऊपर प्रस्तावना घ में दिया गया है;

"**रियायतग्राही**" का वही अर्थ है जो पक्षों की सूची में इस शब्द को दिया गया है या कोई अन्य पक्ष जिसे प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किया जा सकता है;

"**रियायतग्राही प्रतिनिधि**" का अर्थ रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित कम से कम निदेशक पद का प्रतिनिधि होगा;

भारत सरकार	रियायतग्राही

"**सीमा शुल्क नियंत्रण**" का अर्थ सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाओं से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 3 में निर्धारित किया गया है;

"**सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि**" का अर्थ सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"**डीजीसीए**" का अर्थ नागर विमाननमहानिदेशालय या उसका कोई विकल्प होगा;

"**प्रभावी तिथि**" का अर्थ इसमें अंतिम पक्ष द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि से होगा और ऐसी तिथि रियायत समझौते में दिए गए अनुसार नियुक्त तिथि से बाद की नहीं होगी;

"**भारत सरकार**" का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन की प्रस्तावना A में इस शब्द को दिया गया है;

"**भारत सरकार की मंजूरी**" का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन की प्रस्तावना A में इस शब्द को दिया गया है;

"**भारत सरकार का समर्थन**" का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन के खंड 2 में इस शब्द को दिया गया है;

"**महाराष्ट्र सरकार**" का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन की प्रस्तावना B में इस शब्द को दिया गया है;

"**महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी**" का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन की प्रस्तावना B में इस शब्द को दिया गया है;

"**स्वास्थ्य सेवाएं**" का अर्थ अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का हिस्सा हैं) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 4 में निर्धारित किया गया है;

"**स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि**" का अर्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

भारत सरकार	रियायतग्राही

"**आव्रजन सेवाएं**" का अर्थ लागू कानून के अनुसार आव्रजन सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का हिस्सा हैं) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 5 में निर्धारित किया गया है;

"**आव्रजन सेवा प्रतिनिधि**" का अर्थ आव्रजन सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"**संयुक्त समन्वय समिति**" का अर्थ नीचे खंड 4.1.1 में इस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"**मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं**" का अर्थ मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का हिस्सा हैं) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 6 में निर्धारित किया गया है;

"**मौसम विज्ञान संबंधी सेवा प्रतिनिधि**" का अर्थ मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"**समझौता ज्ञापन**" या "**यह समझौता ज्ञापन**" का अर्थ इस समझौता ज्ञापन से होगा;

"**पादप संगरोध सेवाएं**" का अर्थ संगरोध सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का हिस्सा हैं) से होगा, जोकि अनुलग्नक 7 में संलग्न के तहत निर्धारित किया गया है;

"**पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि**" का अर्थ पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

"**परियोजना**" का अर्थ रियायत समझौते में इस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"**पीपीपी**" का अर्थ ऊपर प्रस्तावना क में इस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"**आरक्षित सेवाएं**" का अर्थ खंड 2.3.1 में इस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"**सुरक्षा सेवाएं**" का अर्थ सुरक्षा सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का हिस्सा हैं) से होगा, जोकि अनुलग्नक 8 में संलग्न के तहत निर्धारित किया गया है;

"**सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि**" का अर्थ सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा;

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

"**शेयर-टिल मंजूरी**" का अर्थ नीचे खंड 2.2.1 में इस शब्द को दिए गए अर्थ से है; और

"**अवधि**" का अर्थ खंड 5.1 में इस शब्द को दिए गए अर्थ से है।

1.2 व्याख्या के नियम

1.2.1 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौता ज्ञापन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ इसमें दिया गया अर्थ ही होगा, और इस समझौता ज्ञापन में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्ति जो इसमें परिभाषित नहीं हैं लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित हैं, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें रियायत समझौते में दिए गए हैं।

1.2.2 इन खंडों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौता ज्ञापन के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समझौता ज्ञापन पर लागू होंगे।

2. भारत सरकार का समर्थन

प्रभावी तिथि से, भारत सरकार एतद्द्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित सहायता प्रदान करने का वचन देती है ("**भारत सरकार द्वारा समर्थित**"):

2.1 लागू परमिट

2.1.1 भारत सरकार, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन के अध्यधीन, प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक लागू अनुमतियां, रियायतग्राही को प्रदान करने का प्रयास करेगी। पक्ष सहमत हैं कि जहां कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, भारत सरकार रियायतग्राही से ऐसा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक ऐसी लागू अनुमतियां प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करेगी, जोकि लागू अनुमतियां प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करने वाले रियायतग्राही के अध्यधीन होंगे।

2.1.2 रियायतग्राही एतद्द्वारा वचन देता है कि लागू अनुमतियां प्रदान करने में तेजी लाने के लिए, वह लगन से और समयबद्ध तरीके से:

(क) संबंधित अधिकारियों के पास आवेदन तैयार और जमा करेगा जो लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन में हों;

भारत सरकार	रियायतग्राही

(ख) संबंधित अधिकारियों के पास उपर्युक्त आवेदनों का अनुवर्ती (फॉलो-अप) करेगा; और

(ग) अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए सभी अनुरोधों का समयबद्ध तरीके से उत्तर देगा।

2.2 शुल्कों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

2.2.1 नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या F.No.AV.24011/1/95-VB दिनांक 8 दिसंबर, 2014 ("**शेयर-टिल एप्रूवल**") के माध्यम से, हवाईअड्डे के लिए वैमानिक शुल्कों के निर्धारण और विनियमन के लिए 30% (तीस प्रतिशत) शेयर-टिल ढांचे को मंजूरी दी है।

2.2.2 वैमानिक शुल्कों को शेयर-टिल एप्रूवल के तहत रियायत समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनः निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, बशर्ते कि रियायत समझौते की शर्तों के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किए गए/देय प्रीमियम को वैमानिक सेवाओं के प्रावधान की लागत के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई पास-थ्रू उपलब्ध नहीं होगा।

2.2.3 वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से रियायत शुल्क को परिचालन व्यय के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

2.2.4 हवाईअड्डे के भीतर सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी एजेंसी/संस्थान को या उसकी ओर से किया गया कोई भी भुगतान वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से पास-थ्रू माना जाएगा।

2.2.5 कहीं भी इसके विपरीत शामिल किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही ऐरा (AERA) द्वारा अनुमोदित टैरिफ की प्रारंभिक तदर्थ (ad-hoc) दरों पर हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं से रियायत समझौते के खंड 15.1.1 के अनुसार चरण 1 सीओडी (Phase 1 COD) से प्रभाव के साथ वैमानिक शुल्कों को लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा। टैरिफ की ऐसी प्रारंभिक तदर्थ दरें ऐरा अधिनियम और मौजूदा ऐरा दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ऐरा द्वारा वैमानिक शुल्कों के अनुमोदन तक लागू और वैध होंगी। पहली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ आदेश में स्वीकार्य राजस्व में उचित समायोजन, ऐरा अधिनियम और मौजूदा ऐरा दिशानिर्देशों के अनुसार ऐरा के पास रियायतग्राही द्वारा दायर बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

2.2.6 रियायत समझौते के खंड 15.1.1 के अनुसार चरण । सीओडी से शुरू होने वाली पहली नियंत्रण अवधि (वर्तमान में 5 (पांच) वर्ष) के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित तदर्थ / अंतिम वैमानिक शुल्कों के संबंध में वैमानिक राजस्व की कोई भी कम-वसूली या अधिक-वसूली को आगे बढ़ाया जाएगा और समायोजित किया जाएगा, जबकि दूसरी टैरिफ नियंत्रण अवधि में स्वीकार्य वैमानिक राजस्व का निर्धारण करते समय, ऐरा द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, बशर्ते कि ऐसा आगे ले जाना या समायोजन, केवल ऐरा अधिनियम और मौजूदा ऐरा दिशानिर्देशों के अनुसार ऐरा द्वारा निर्धारित वैमानिक राजस्व की कम-वसूली या अधिक-वसूली के संबंध में ही उपलब्ध होगा।

2.2.7 आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों के लिए आवास के प्रावधान के लिए की गई पूंजीगत लागत (आरक्षित सेवाएं प्रदाता के साथ निष्पादित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन में सहमति की सीमा तक) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, विनियमित परिसंपत्ति आधार के हिस्से के रूप में मानी जाएगी। ऐसी सुविधाओं के रखरखाव पर कोई भी उचित व्यय संचालन और रखरखाव व्यय (पास-थ्रू) के हिस्से के रूप में लिया जाएगा। आरक्षित सेवा प्रदाता द्वारा रियायतग्राही को किराए या रखरखाव के लिए भुगतान की गई कोई भी राशि वैमानिक राजस्व मानी जाएगी।

2.2.8 रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए पूर्व-परिचालन व्यय, रियायत समझौते के खंड 25.2 के अनुसार, परियोजना परिपरिसंपत्तियों पर पूंजीकृत किए जाएंगे जो वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए विनियमित परिसंपत्ति आधार का हिस्सा बनेंगे।

2.2.9 पूर्व-विकास कार्यों के हिस्से बनने वाले और सॉफ्ट लोन द्वारा वित्तपोषित परिपरिसंपत्तियों को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए पूंजीगत व्यय के हिस्से के रूप में माना जाएगा। स्थल के अंदर और बाहर पूर्व-विकास कार्यों से संबंधित सॉफ्ट लोन पर ब्याज, जहां तक यह रियायत समझौते के तहत अनिवार्य लागत का हिस्सा है, की गणना एफआरओआर (FROR) में निम्नलिखित आधार पर की जाएगी:

(क) 0% पूंजी की लागत, यदि रियायतग्राही द्वारा सॉफ्ट लोन पर प्राधिकरण को कोई ब्याज देय/भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) रियायत समझौते के खंड 12.9.6 के प्रावधान (ii) के अनुसार सॉफ्ट लोन के पुनर्भुगतान की लिंकेज तिथि के वैकल्पिक स्थगन का प्रयोग करने पर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय/भुगतान योग्य ब्याज की लागू दर वह दर होगी जो नियुक्त तिथि के अनुसार सॉफ्ट लोन के शुद्ध वर्तमान मूल्य को बनाए रखे ताकि वैमानिक शुल्कों के निर्धारण किया जा सके।

भारत सरकार	रियायतग्राही

2.2.10 रियायतग्राही द्वारा हवाईअड्डे की गतिविधियों हेतु भूमि विकास कार्यों के लिए सॉफ्ट लोन के अतिरिक्त वहन की गई वृद्धिशील पूंजीगत लागत, यदि कोई हो, जहां तक रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना कार्य के लिए आवश्यक है, ऐरा द्वारा वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए उचित मूल्यह्रास दर के साथ विनियमित परिसंपत्ति आधार में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।

2.2.11 संपर्क मार्गों (अप्रोच रोड) के लिए की गई पूंजीगत लागत को सामान्य रूप से विनियमित परिसंपत्ति आधार में शामिल किया जाएगा। हवाईअड्डा स्थल के भीतर स्थित मेट्रो रेल स्टेशन, जिसमें रियायतग्राही ने निवेश किया है और जिसे मेट्रो रेल कंपनी को हस्तांतरित किया जा सकता है, वे भी विनियमित परिसंपत्ति आधार का हिस्सा होंगे और वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए उचित मूल्यह्रास दर लागू होगी।

2.3 आरक्षित सेवाएं

2.3.1 भारत सरकार पूरी अवधि के दौरान, हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") प्रदान करेगी या प्रदान करवाएगी:

(क) सीएनएस/एटीएम सेवाएं;

(ख) सीमा शुल्क नियंत्रण;

(ग) आव्रजन सेवाएं;

(घ) पादप संगरोध सेवाएं;

(ड॰) पशु संगरोध सेवाएं;

(च) स्वास्थ्य सेवाएं;

(छ) मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं;

(ज) सुरक्षा सेवाएं;

(झ) कोई भी अन्य सेवाएं जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित की जा सकती हैं।

2.3.2 भारत सरकार एतद्द्वारा प्रत्येक नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा आरक्षित सेवाओं के सफल निष्पादन को प्राप्त करने का वचन देती है। इस संबंध में, रियायतग्राही उपयोगिताओं की लागत को छोड़कर (जैसे बिजली, पानी, जो रियायतग्राही द्वारा वसूली योग्य होगी, और

भारत सरकार	रियायतग्राही

श्रेष्ठ उद्योग परिपाठियों के अनुसार) निःशुल्क, उनके संबंधित सेवाओं के निष्पादन और उनके वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए परिचालन क्षेत्रों हेतु आवश्यक कार्यालय उपयोगिताओं के साथ कार्यालय स्थान प्रदान करेगा। नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा बैंक ऑफिस उपयोग के स्थान के संबंध में,

रियायतग्राही लागू बाजार दरों के अधिकतम 50% (पचास प्रतिशत) की दर तक स्थान उपयोग शुल्क ले सकता है।

2.3.3 रियायतग्राही उस नामित भारत सरकार एजेंसी की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर किसी भी नामित भारत सरकार एजेंसी को प्रदान किए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।

2.3.4 हवाईअड्डे पर किसी भी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में जिसमें आरक्षित सेवाएं प्रदान करने या अन्यथा उद्देश्यों के लिए किसी भी नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं की आवाजाही या पुनर्गठन शामिल है, रियायतग्राही विधिवत नामित भारत सरकार एजेंसी को सूचित करेगा और रियायतग्राही और वह नामित भारत सरकार एजेंसी हवाईअड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक हो सकने वाले उस नामित भारत सरकार एजेंसी की स्थान आवश्यकताओं में किसी भी परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और सहमत होंगे।

2.3.5 रियायतग्राही आरक्षित सेवाओं के प्रदाताओं से आवासीय आवास के लिए किराया एकत्र करेगा, जिसकी राशि संबंधित आरक्षित सेवाओं के प्रदाताओं के लागू कानूनों / मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान की जाएगी।

2.4 [**हटा दिया गया (डिलिटेड)**]

2.5 **द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता**

द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (समझौतों) के उद्देश्यों के लिए, हवाईअड्डा मुंबई शहर का एक हिस्सा होगा। इसके अलावा, भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन किए बिना या किसी भी तरह से प्रतिबंधित किए बिना, भारत सरकार, जहां संभव हो, सभी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों का नवीनीकरण करने का प्रयास करेगी और हवाईअड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त न करने का प्रयास करेगी। भारत सरकार किसी अन्य राज्य या उसके नामित वाहक (वाहकों) द्वारा उनके दायित्वों का पालन करने में विफलता के कारण, या ऐसे हवाई सेवा समझते के किसी अन्य पक्ष द्वारा उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप किसी भी हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त करने की हकदार होगी।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

2.6 **सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध**

रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध प्रक्रियाओं की स्थापना करेगा। लागू कानूनों के तहत इस संबंध में आवश्यक लागू अनुमतियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, भारत सरकार रियायतग्राही को ऐसी आवश्यक लागू अनुमतियां प्राप्त करने और भारत सरकार के समक्ष लंबित किसी भी मुद्दे को हल करने में सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगी।

2.7 **सुरक्षा**

2.7.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक इस समझौता ज्ञापन के तहत अन्यथा सहमति न हो, वह नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करेगी। पक्ष स्वीकार करते हैं कि प्रस्थान करने वाले प्रत्येक यात्री पर सुरक्षा हेतु

लगाया गया शुल्क और इसका संग्रह तथा उपयोग भारत सरकार या संबंधित नामित भारत सरकार एजेंसी / सरकारी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर जारी लागू दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

2.7.2 इस समझौता ज्ञापन के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही हवाईअड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएएस (BCAS) और किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा स्थापित ऐसे नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा।

2.7.3 रियायतग्राही हवाईअड्डे पर सुरक्षा के प्रावधान के लिए समय-समय पर बीसीएएस, नामित सुरक्षा एजेंसियों और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा यथा आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

2.7.4 हवाईअड्डा भवन, यात्रियों, हवाईअड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और हवाईअड्डे के अन्य आगंतुकों और विमानों, माल ढुलाई तथा हवाईअड्डे पर अन्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बीसीएएस और किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी के अनुसार निर्धारित होगी। रियायतग्राही बीसीएएस और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

2.7.5 रियायतग्राही हर समय नामित सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

2.8 **मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं**

2.8.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन के लिए मौसम विज्ञान सेवा पर शिकागो कन्वेंशन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित परिपाठियों के अनुसार हवाईअड्डे पर मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करवाएगी।

2.8.2 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कार्य और इस खंड 2.8 के तहत रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुंच और स्थान श्रेष्ठ उद्योग परिपाठियों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2.9 **गैर-भेदभाव**

समय-समय पर लागू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों के अध्यधीन, भारत सरकार हवाई यातायात के उन वर्गों या विवरणों के संबंध में गैर-भेदभाव की नीति का पालन करेगी जिन्हें हवाईअड्डे का उपयोग करने की अनुमति है और, उचित नियमों के अध्यधीन, हवाईअड्डे पर विमानों की आवाजाही पर कोई अनुचित सीमाएं न लगाने या अन्यथा हवाईअड्डे पर क्षमता को प्रतिबंधित न करने का प्रयास करेगी।

3. **रियायतग्राही के दायित्व**

3.1 **रियायत समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का अनुपालन**

रियायतग्राही हर समय रियायत समझौते की शर्तों, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का अनुपालन करेगा। रियायतग्राही एतद्द्वारा समझता है, स्वीकार करता है और सहमत होता है कि यदि रियायतग्राही रियायत समझौते, लागू कानूनों या लागू अनुमतियों की किसी भी शर्त के उल्लंघन या चूक में है, तो भारत

सरकार इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने हिस्से का निष्पादन करने के लिए किसी भी दायित्व के अध्यधीन नहीं होगी।

3.2 **समन्वय**

रियायतग्राही विस्तृत डिजाइनिंग चरण के दौरान संबंधित सरकारी एजेंसियों से परामर्श करेगा और ऐसी सरकारी एजेंसियों के सुझावों/अनुरोधों का सामान्य रूप से रियायतग्राही द्वारा पालन किया जाएगा जब तक कि उन्हें स्वीकार न करने का कोई प्राथमिक कारण न हो। ऐसे मामलों में, रियायतग्राही अपने डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित सरकारी एजेंसी को उक्त कारण बताएगा जिसका सुझाव/अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

3.3 **रक्षा बलों के लिए भूमि**

3.3.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि रक्षा बलों के पास हर समय हवाईअड्डे और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने की पहुंच, बिना किसी प्रतिबंध या किसी भी प्रकृति की बाधा के निःशुल्क होगी। रियायतग्राही रणनीतिक परिसंपत्तियों की भावी योजना के लिए भारतीय वायु सेना को आगे प्रस्तुत करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय को परियोजना का मास्टर प्लान अग्रेषित करेगा।

3.3.2 ऊपर खंड 3.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हवाई क्षेत्र के आवंटन और बंद करने तथा आपात स्थिति के दौरान हवाईअड्डे के उपयोग के संबंध में रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्व भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और उस सीमा तक रियायतग्राही को हवाईअड्डे के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के उसके दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

3.3.3 सैन्य विमानों के लिए एक अलग पार्किंग क्षेत्र जब भी आवश्यक हो उपयोग के लिए स्थल पर चिह्नित किया जाएगा। इसके अलावा, रक्षा बलों की रणनीतिक तैनाती के लिए 16.42 हेक्टेयर भूमि का एक पॉकेट (हिस्सा) चिह्नित किया जाएगा। रक्षा बलों को अपने स्वयं के खर्चे पर चिह्नित क्षेत्र के भीतर अपने उपयोग के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करने का अधिकार होगा।

3.3.4 रियायतग्राही हवाईअड्डे पर अपने विमानों की आवाजाही में रक्षा बलों के साथ सहयोग करने और सहायता करने तथा हवाईअड्डे के उपयोग को सुगम बनाने के लिए सहमत होता है और वचन देता है।

4. **संयुक्त समन्वय समिति**

4.1 **संयुक्त समन्वय समिति का गठन**

4.1.1 आरक्षित सेवाओं का सुचारू और कुशल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, पक्ष एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त समन्वय समिति ("संयुक्त समन्वय समिति") स्थापित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं:

- प्राधिकरण प्रतिनिधि;
- निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि;
- सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रतिनिधि;

भारत सरकार	रियायतग्राही

- . सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;
- . आव्रजन सेवा प्रतिनिधि;
- . मौसम विज्ञान संबंधी सेवा प्रतिनिधि;
- . सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि;
- . पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि;
- . पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि;
- . स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि; और
- . रियायतग्राही का प्रतिनिधि।

4.1.2 प्राधिकरण इस समिति का गठन करेगा और आरक्षित सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों को हल करने के जनादेश के साथ बैठकों की अध्यक्षता करेगा। नागर विमानन मंत्रालय और नामित भारत सरकार की एजेंसियों का प्रतिनिधित्व बैठकों में निदेशक स्तर और उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4.2 **बैठकें और सहायता**

4.2.1 संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी और, जब तक कि बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने के लिए पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, प्रभावी तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर पहली बार शुरू होकर, हवाईअड्डे पर या हवाईअड्डे वाले शहर में प्राधिकरण द्वारा नामित किसी अन्य स्थान पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी।

4.2.2 भारत सरकार एतद्द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के संबंध में, भारत सरकार के नियंत्रण और दिशा के तहत प्रासंगिक एजेंसियों, अधिकारियों, विभागों, निरीक्षक कार्यालयों, मंत्रालयों के साथ तालमेल स्थापित करने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने का वचन देती है।

5. **अवधि और समाप्ति**

5.1 **अवधि**

5.1.1 यह समझौता ज्ञापन (MoU) प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

5.1.2 यह समझौता ज्ञापन किसी भी कारण से, रियायत समझौते के निर्धारण और/या समय से पहले समाप्ति के साथ स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा ("अवधि"।

भारत सरकार	रियायतग्राही

5.2 **समाप्ति**

5.2.1 यह समझौता ज्ञापन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा यदि रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार नियुक्त तिथि प्राप्त नहीं की जाती है।

5.2.2 इस समझौता ज्ञापन के अनुसार रियायतग्राही को दिए गए अधिकार और लाभ, रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, रियायतग्राही के किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी उत्तराधिकारी सहित) को हस्तांतरित हो जाएंगे और उनके लाभ के लिए लागू होंगे जो किसी भी समय हवाईअड्डे का संचालन कर सकता है।

6. प्रतिनिधित्व और प्रतिपादन (वारंटी)

6.1 रियायतग्राही द्वारा

रियायतग्राही एतद्द्वारा भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करता है और प्रतिपादित करता है कि रियायत समझौते के तहत उसके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रतिनिधित्व और वारंटी इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis), इसमें निहित रूप और तरीके से सही और सटीक रहेंगे, जिसमें इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन और वितरण के लिए इसकी शक्ति, अधिकार और आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाइयां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

6.2 भारत सरकार द्वारा

भारत सरकार एतद्द्वारा रियायतग्राही का प्रतिनिधित्व करती है और वारंटी देती है कि उसके पास सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार पर इस समझौता ज्ञापन को निष्पादित करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए अधिकार, शक्ति और प्राधिकरण है और उसने सभी आवश्यक कार्रवाइयां की हैं।

7. शासी कानून और विवाद निवारण

7.1 शासी कानून

यह समझौता ज्ञापन (खंड 7 सहित) और इसकी व्याख्या के सभी प्रश्नों का अर्थ भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

7.2 क्षेत्राधिकार

निम्नलिखित खंड 7.3 के प्रावधानों के अध्यधीन, नई दिल्ली की अदालतों के पास इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न या उससे संबंधित मामलों पर विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

7.3 विवाद निवारण

7.3.1 दोनों पक्ष सहमत हैं कि वे इस समझौता ज्ञापन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सद्भावना परामर्श के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा। बशर्ते कि ऐसे सद्भावना परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान न निकला हो, तो खंड 7.3.2 के प्रावधान लागू होंगे।

7.3.2 ऐरा (AERA) अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, कोई भी विवाद, जिसे पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से हल नहीं किया जा सका (जैसा कि ऊपर खंड 7.3.1 के तहत प्रदान किया गया है), मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से हल किया जाएगा।

7.3.3 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों से बने एक न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता के लिए प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो न्यायाधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (मिलकर "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" का गठन करेंगे)। मध्यस्थता कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी। किसी भी पक्ष द्वारा अपने मध्यस्थ (मध्यस्थों) को नियुक्त करने में विफलता या पक्षों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफलता की स्थिति में, उक्त मध्यस्थ (मध्यस्थों) की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।

7.3.4 ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षों को अन्यथा स्वीकार्य न हो, दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

7.3.5 मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय (निर्णय) पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

8. विविध

8.1 नोटिस

8.1.1 इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमति प्राप्त या लागू कानूनों द्वारा कोई भी आवश्यक नोटिस (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगा और व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा, पंजीकृत डाक या यथोचित हवाई डाक द्वारा भेजा जाएगा, जो विधिवत रूप से लिफाफे में डाक शुल्क भुगतान के साथ सही पते पर पोस्ट किया गया हो या निम्नलिखित के अनुसार संबंधित पक्षों को फैक्स द्वारा भेजा जाएगा:

भारत सरकार:

पता: नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली
ध्यान दें: सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार
ईमेल: secy.moca@nic.in
फैक्स नं.: +91-11-24632992

प्राधिकरण:

पता: दूसरी मंजिल, निर्मल, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र– 400 021
ध्यान दें: उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ईमेल: cidcomdoffice@gmail.com
फैक्स नं.:+91-22-22022509

रियायतग्राही:

पता: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
ध्यान दें: टर्मिनल 1-बी, पहली मंजिल, सीएसआई एयरपोर्ट, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई - 400 099
ईमेल: sanjayredyy@gvk.com
फैक्स नं.: +91-22-66851618

या ऐसे किसी अन्य पते या फैक्स नंबर पर जो समय-समय पर इसके तहत नोटिस द्वारा नामित किया जाए।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

8.1.2 ऐसा कोई भी नोटिस अंग्रेजी भाषा में होगा और उसे वास्तव में वितरित किए जाने के समय दिया गया माना जाएगा यदि वह हाथ से वितरित किया जाता है, या फैक्स द्वारा भेजे जाने के अगले कार्य दिवस पर, या किसी भी अन्य मामले में इसमें ऊपर प्रदान किए गए तरीके से डाक द्वारा भेजे जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर दिया गया माना जाएगा।

8.2 **अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्यूर)**

8.2.1 कोई भी पक्ष इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने संबंधित दायित्वों के निष्पादन को निलंबित करने या छूट प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस हद तक वह अप्रत्याशित घटना की स्थिति के कारण ऐसा निष्पादन करने में असमर्थ है।

8.2.2 जहां कोई पक्ष अप्रत्याशित घटना के कारण अपने दायित्वों के निलंबन का दावा कर रहा है, वह तुरंत, लेकिन किसी भी स्थिति में अप्रत्याशित घटना घटने के 7 (सात) दिनों के बाद नहीं, अन्य पक्षों को अप्रत्याशित घटना का पूर्ण विवरण, उसकी अनुमानित अवधि, प्रभावित दायित्वों और इसके निलंबन के कारणों को बताते हुए लिखित रूप में सूचित करेगा।

8.2.3 अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाला कोई भी पक्ष अप्रत्याशित घटना से उबरने और इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए उचित प्रयास करेगा। प्रभावित पक्ष जैसे ही अप्रत्याशित घटना समाप्त हो जाती है और उसे उन दायित्वों का अनुपालन करने से नहीं रोकती है जिन्हें निलंबित कर दिया गया था, तुरंत अन्य पक्षों को सूचित करेगा और उसके बाद जल्द से जल्द ऐसे दायित्वों का अनुपालन फिर से शुरू करेगा।

8.2.4 जहां किसी पक्ष को अप्रत्याशित घटना के कारण इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने या किसी भी दायित्व का निष्पादन करने से रोका जाता है, उससे प्रभावित दायित्वों के निष्पादन या उस पर निर्भर किसी अधिकार के प्रयोग का समय, ऐसी अतिरिक्त अवधि से बढ़ाया जाएगा जो अप्रत्याशित घटना की लंबन अवधि के समरूप हो जो निष्पादन अवधि को रोकती है और देरी करती है जैसा कि पक्षों के बीच सहमति हो सकती है।

8.2.5 ऊपर निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि अप्रत्याशित घटना घटित होती है और 165 (एक सौ पैंसठ) दिनों की अवधि तक जारी रहती है, तो पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना के परिणामों और इसके प्रभावों को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई या परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे।

भारत सरकार	रियायतग्राही

8.3 **पृथककरणीयता (सिवरेबिलिटी)**

इस समझौता ज्ञापन में निहित नियमों, शर्तों या प्रावधानों का कोई हिस्सा, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे नियम, शर्तें या प्रावधान शेष नियमों, शर्तों और प्रावधानों से अलग कर दिए जाएंगे। शेष शर्तें और प्रावधान लागू कानून के तहत पूरी तरह से वैध और लागू रहेंगे।

8.4 **संपूर्ण समझौता**

यह समझौता ज्ञापन, इसके सभी अनुलग्नकों के साथ, इस समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षों द्वारा निष्पादित किसी भी पूर्व समझौते या लिखित या मौखिक समझ का स्थान लेता है।

8.5 **संशोधन**

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी जोड़, संशोधन या परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

8.6 **समनुदेशन (असाइनमेंट)**

इसके प्रभावी होने की तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी परिवर्तन के बावजूद, जो अन्यथा इस समझौता ज्ञापन के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्ष इस समझौता ज्ञापन या इसके तहत या इसके अनुसार उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसमें किसी लाभ या हित को समनुदिष्ट नहीं कर सकता है। हालांकि, पूर्वगामी के बावजूद, भारत सरकार एतद्द्वारा प्रतिस्थापन समझौते (सब्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट) की शर्तों के अनुसार चुने गए किसी प्रतिस्थानी संस्था या परियोजना के संबंध में रियायतग्राही के रूप में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की गई किसी अन्य संस्था के पक्ष में इस समझौता ज्ञापन को हस्तांतरित और नवीनीकृत करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है।

8.7 **कोई छूट नहीं**

भारत सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का प्रयोग करने में कोई विफलता या उनकी ओर से कोई देरी, इसके प्रतित्याग (वेवर) के रूप में कार्य नहीं करेगी, न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का कोई एकल या आंशिक प्रयोग इसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के प्रयोग को रोकेगा।

भारत सरकार	रियायतग्राही

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौता ज्ञापन में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और निवारण संचयी हैं और किसी अन्य अधिकारों, शक्तियों, विशेषाधिकारों या निवारणों (चाहे कानून द्वारा प्रदान किए गए हों या अन्यथा) के अनन्य नहीं हैं।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

अनुलग्नक 1 – पशु संगरोध सेवाएं

(□) **आगमन से पहले**:

(i) पशु के आयात के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, शेडों और फ़ीड स्टोरों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, उपयुक्त कीटाणुनाशक से कीटाणुरहित किया जाता है, और धूमीकृत (फ्यूमिगेट) भी किया जाता है;

(ii) पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार, सभी पशुओं को उपयुक्त पशु वाहकों पर ले जाया जाता है;

(iii) पशु वाहक को पशुओं के आगमन की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ठीक से कीटाणुरहित किया जाता है;

(iv) आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

(□) **प्रवेश बिंदु पर आगमन पर**:

(i) आगमन के दिन और आयातकर्ता के साथ तय किए गए समय पर, क्षेत्रीय संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारी हवाईअड्डे पहुंचते हैं;

(ii) पशु या उत्पादों का शारीरिक रूप से भली-भांति परीक्षण किया जाता है;

(iii) विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए पशुओं या उत्पादों के साथ आने वाले पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र की पूरी तरह से जांच की जाती है;

(iv) यह सुनिश्चित करने के बाद कि पशु चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं और खेप के साथ आने वाले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ठीक हैं, सीमा शुल्क निकासी के लिए आयातक एजेंसी को मामले के आधार पर अनंतिम संगरोध निकासी प्रमाणपत्र (आयात) या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (आयात) जारी किया जाता है;

(v) आयातित जीवित पशुओं को क्षेत्रीय संगरोध अधिकारी की देखरेख में संगरोध स्टेशन में लाया जाता है;

(vi) पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए पशुओं को 30 दिनों के लिए या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अनुसार संगरोध में रखा जाता है;

(vii) पशुधन उत्पादों के मामले में, प्रतिनिधि नमूने लिए जाएंगे और सेनेटरी आयात परमिट में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रासंगिक प्रयोगशालाओं में विधीक्षित किए जाएंगे।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

अनुलग्नक 2 – सीएनएस / एटीएम सेवाएं

भारत सरकार, एएआई (AAI) या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से पूरी अवधि के दौरान, एक अलग सीएनएस/एटीएम समझौते के माध्यम से हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करेगी या करवाएगी:

□. शिकागो कन्वेंशन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित परिपाठियों के अनुसार और भारत के अन्य हवाईअड्डों पर समान सेवाओं पर लागू होने वाली समान शर्तों पर, और डीजीसीए के निर्देशों के अनुपालन में हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करवाना;

□. सीएनएस/एटीएम उपकरणों का रखरखाव करवाना, जिसमें समय-समय पर सीएनएस/एटीएम उपकरणों का उड़ान अंशांकन (फ़्लाइट कैलिब्रेशन) और परीक्षण करना शामिल है;

□. समय-समय पर सीएनएस/एटीएम उपकरणों को अपग्रेड करवाना (i) वर्तमान यातायात मांग की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीजीसीए द्वारा अधिसूचित नागर विमाननआवश्यकताओं के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए और प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) दस्तावेजों और अनुलग्नकों सहित लागू कानूनों के अनुसार कम से कम, और (ii) हवाईअड्डे के विस्तार / उन्नयन के परिणामस्वरूप;

□. हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपकरणों को अपने खर्चे पर या नामित भारत सरकार एजेंसी के खर्चे पर, जैसा भी मामला हो, खरीदवाना;

- शिकागो कन्वेंशन के अनुसार, समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित परिपाठियों के अनुसार और उन्हीं शर्तों पर जो एएआई भारत के अन्य समान हवाईअड्डों पर प्रदान करता है, हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए मौसम विज्ञान सुविधाओं को प्राप्त करना; और
- लागू कानूनों और श्रेष्ठ उद्योग परिपाठियों के अनुसार रनवे पर विमानों की आवाजाही को सक्षम करने के लिए हवाई यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए सशक्त नामित भारत सरकार एजेंसी से कार्य करवाना।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

अनुलग्नक 3 – सीमा शुल्क नियंत्रण

- वॉॅकथ्रू चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- ग्रीन / रेड चैनल में सामान जांच काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- बैगेज हॉल के भीतर बैगेज सहायक / उपायुक्त की सेवाओं का प्रावधान;
- रोके गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- गलत जगह पहुंचे सामान (मिसहैंडल्ड बैगेज) के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- कीमती सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- शिपमेंट सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- जब्त किए गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- निकास द्वार (एग्जिट गेट) के पास गेट अधिकारी द्वारा तैनाती;
- निर्यात प्रमाणपत्र जारी करना;
- सीमा शुल्क कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवाएं;
- एयर इंटेलिजेंस यूनिट।

भारत सरकार	रियायतग्राही

अनुलग्नक 4 – स्वास्थ्य सेवाएं

भाग A – सेवाएं

(□) अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर स्वास्थ्य सेवाएं ("स्वास्थ्य सेवाएं") दो प्रकार की होती हैं:
   (i) जन स्वास्थ्य सेवाएं; और
   (ii) चिकित्सा/विमान आपातकालीन स्थितियां।

(□) जन स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से डीजीएचएस (DGHS) / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा नियुक्त हवाईअड्डा स्वास्थ्य संगठन (**"एपीएचओ"**) के अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर एपीएचओ चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अन्य एजेंसियों की भी सहायता कर सकता है। एपीएचओ की विस्तृत भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस अनुलग्नक 4 के भाग ख में निर्धारित की गई हैं।

(□) पक्ष एतद्द्वारा रिकॉर्ड करते हैं कि डीजीएचएस / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का इरादा हवाईअड्डा टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने और निम्नलिखित गतिविधियों ("स्वास्थ्य सेवाएं") को संचालित करने का प्रयास करना है:

   i. हवाईअड्डा टर्मिनल भवन और कार्गो कॉम्प्लेक्स में हर समय आईएचआर-2005 (IHR-2005) के तहत प्रावधानित सेवाओं सहित "जन स्वास्थ्य सेवाएं"।
   ii. जन स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य से, डीजीएचएस / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कर्मियों, उपकरणों और सेवाओं को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। टर्मिनल भवन के भीतर परिचालन स्थान और टर्मिनल के बाहर भूमि (संगरोध केंद्र के निर्माण के लिए) रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए स्थान की आवश्यकता का विवरण इस अनुलग्नक 4 के भाग ग में विस्तृत है।
   iii. किसी भी जन स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान हवाईअड्डे पर विभिन्न एजेंसियों के बीच जन स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में समन्वय रियायतग्राही द्वारा सुगम बनाया जाएगा।
   iv. रियायतग्राही यात्री (यात्रियों) / हवाईअड्डा कर्मचारियों को आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए एक विशेष एजेंसी की पहचान करेगा। चिकित्सा और उड़ान आपात स्थिति की आवश्यकता के मामले में एपीएचओ एजेंसी की सहायता करेगा। यह एजेंसी जन स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान एपीएचओ का भी समर्थन करेगी।
   v. एपीएचओ कर्मचारी और अन्य डीजीएचएस कर्मी हवाईअड्डा टर्मिनल भवन में स्थित होंगे, जैसा कि डीजीएचएस द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा।
   vi. डीजीएचएस समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाईअड्डे तथा उसके आसपास चिकित्सा सुविधाओं का समय तय करेगा।
   vii. डीजीएचएस हवाईअड्डे पर ऐसे अन्य कार्यों को भी करेगा जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किए जा सकते हैं।

भारत सरकार	रियायतग्राही

(□) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि डीजीएचएस / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उपर्युक्त पैरा (ग)(i) में उल्लिखित सभी या किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं होगी। ऐसी किसी भी देनदारी को एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज किया जाता है। रियायतग्राही एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवा या सुविधा के न मिलने पर उसके पास डीजीएचएस / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या किसी अन्य सरकारी निकाय के खिलाफ कोई अधिकार या उपाय नहीं होगा।

भारत सरकार	रियायतग्राही

भाग B – **हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका** (**आईएचआर** 2005 **के अनुसार**)

हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारी निम्न जिम्मेदारियों का वहाँ करेगा:

(□) हवाईअड्डों पर जन स्वास्थ्य उपायों की निगरानी और अनुप्रयोग के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें यदि आवश्यक हो तो यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परीक्षा, और जब भी आवश्यक हो बैगेज, कार्गो, कंटेनर, विमान और परिवहन के साधनों, सुविधाओं, माल और डाक पार्सल, मानव अवशेषों और प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण शामिल है;

(□) समय-समय पर निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसी के साथ पर्यवेक्षण और समन्वय करेगा कि यात्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाएं सैनिटरी और स्वच्छ स्थिति में रखी जाएं, जिसमें पीने योग्य पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, उचित तरल और ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधाएं शामिल हैं और उन्हें वैक्टर (रोग वाहकों) सहित संक्रमण और संदूषण के स्रोतों से मुक्त रखा जाए;

(□) आवश्यकतानुसार बैगेज, कार्गो, कंटेनर, विमान या परिवहन के साधनों, सुविधाओं, माल और डाक पार्सल तथा मानव अवशेषों के कीटाणुशोधन (डिसइन्फेक्शन), कीट-निवारण (डिसइन्सेक्टिसेशन) और विसंदूषण (डिकॉन्टामिनेशन) के लिए संबंधित एजेंसी का पर्यवेक्षण करेगा और उसे तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा;

(□) विमान और हवाईअड्डा परिसर से किसी भी दूषित भोजन, मानव या पशु मल, अपशिष्ट जल और किसी भी अन्य दूषित पदार्थ को हटाने और सुरक्षित निपटान के लिए संबंधित एजेंसी को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा;

(□) अंतर्राष्ट्रीय चिंता की जन स्वास्थ्य आपात स्थिति और किसी भी अन्य संक्रामक रोग से निपटने के लिए प्रभावी आकस्मिक योजना (कंटिजेंसी प्लान) बनाएगा और निवारक उपाय करने के लिए विमान परिवहन ऑपरेटर को निर्देशित करेगा;

(□) अंतर्राष्ट्रीय चिंता की जन स्वास्थ्य आपात स्थिति और इससे निपटने के उपायों के बारे में हवाईअड्डे पर संबंधित एजेंसियों को जानकारी प्रसारित करेगा;

(□) प्रासंगिक निगरानी गतिविधियों, संभावित जन स्वास्थ्य जोखिम और जन स्वास्थ्य उपायों पर राष्ट्रीय आईएचआर फोकल प्वाइंट के साथ यथाशीघ्र संचार करेगा;

(□) हवाईअड्डा परिसर को दूषित करने वाले संभावित रोगजनक एजेंटों की निगरानी और नियंत्रण के लिए सभी व्यावहारिक उपाय करेगा;

(□) अंतर्राष्ट्रीय चिंता की जन स्वास्थ्य आपात स्थिति की स्थिति में भारत सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार हवाईअड्डे पर अतिरिक्त स्वास्थ्य उपायों का समन्वय करेगा;

(□) यदि इस बात के सत्यापन योग्य संकेत या साक्ष्य हैं कि प्रभावित क्षेत्र से प्रस्थान के समय लागू किए गए उपाय असफल रहे थे, तो आगमन पर प्रभावित क्षेत्र से आने वाले यात्रियों, विमान या वाहकों, कंटेनरों, परिवहन के साधनों, माल, डाक पार्सल और मानव अवशेषों के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य उपाय लागू करने पर विचार करेगा।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

भाग C – स्थान की आवश्यकताएं

एक स्वास्थ्य इकाई के लिए परिचालन कार्यों (आव्रजन से पूर्व क्षेत्र में) के लिए स्थान (लगभग 600 वर्ग फुट) और किसी भी संदिग्ध यात्री को भर्ती करने के लिए संगरोध सुविधा स्थापित करने के लिए स्थान (लगभग 1500 वर्ग फुट, अधिमानतः हवाईअड्डा परिसर के पास) के प्रावधान की आवश्यकता होती है।

भारत सरकार	रियायतग्राही

अनुलग्नक 5 – आव्रजन सेवाएं

हवाईअड्डे पर आव्रजन सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना और लागू कानूनों के तहत विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।

भारत सरकार	**रियायतग्राही**

अनुलग्नक 6 – **मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं**

इसमें आईसीएओ के अनुलग्नक 3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तकनीकी प्रावधानों के साथ-साथ नामित भारत सरकार एजेंसी के मानकों और अनुशंसित परिपाठियों और विमान संचालन की सुरक्षा के लिए हवाई दिक्चालन में सम्मेलनों के अनुसार विमानन मौसम सेवाओं का प्रावधान शामिल है।

भारत सरकार	रियायतग्राही

अनुलग्नक 7 – पादप संरक्षण और संगरोध सेवाएं

ये कार्य विनाशकारी कीट एवं फसल अधिनियम, 1914 और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 तथा इसके संशोधनों के तहत देश में विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए किए जाते हैं जो भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ये परिपाठियां अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं और डब्ल्यूटीओ (WTO) के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी समझौते के तहत मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(□) विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और उन्हें छोड़ना (रिलीज);
(□) निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि वस्तुओं का दृश्य परीक्षण (विजुअल एग्जामिनेशन) और उपचार;
(□) निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि वस्तुओं के लिए पादप-स्वास्थ्य (फाइटो-सैनिटरी) प्रमाणपत्र जारी करना;
(□) आयातित लकड़ी पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण और उपचार;
(□) प्रवेश के बाद संगरोध (पोस्ट-एंट्री संगरोध) निरीक्षण;
(□) कृषि वस्तुओं का धूमीकरण (फ्यूमिगेशन) / कीट-निवारण (डिसइन्फेस्टेशन) / कीटाणुशोधन (डिसइन्फेक्शन)

भारत सरकार	रियायतग्राही

अनुलग्नक 8 – सुरक्षा सेवाएं

- . भारत सरकार, नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से, आईसीएओ (ICAO) के अनुलग्नक 17 के अनुसार, हवाईअड्डे के लिए नागर विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
- . एवीएसईसी (AVSEC) परिचालन उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि सुरक्षा नियंत्रणों को लागू करने वाले उनके कर्मियों की पृष्ठभूमि की ठीक से जांच की गई हो, वे प्रशिक्षित हों, और उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी योग्यताएं रखते हों।
- . विमानन सुरक्षा मामलों का नियोजन और समन्वय।
- . कर्मचारियों की पेशेवर योजनाओं और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से आकस्मिक / डमी ऑडिट / गुणवत्ता नियंत्रण जांच, और विभिन्न हवाईअड्डा संस्थाओं की आकस्मिक योजनाओं का परीक्षण करने के लिए मॉक अभ्यास आयोजित करना।
- . सुरक्षा से समझौता होने से रोकने के लिए आवाजाही क्षेत्र (मूवमेंट एरिया) और निकासी मार्ग के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या नागर विमानन मामलों की नामित एजेंसी से परामर्श किया जा सकता है।
- . रियायतग्राही / विक्रेताओं / खुदरा दुकानों / खाद्य स्टालों / ठेकेदारों को सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। खुदरा / खाद्य स्टालों के लिए निर्दिष्ट सामान को गुड्स स्क्रीनिंग प्वाइंट पर स्क्रीनिंग के बाद ही टर्मिनल के भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी। गुड्स स्क्रीनिंग प्वाइंट पर एक्स-बीआईएस (X-BIS), डीएफएमडी (DFMD), एचएचएमडी (HHMD) आदि जैसे उचित बुनियादी ढांचे प्रदान किए जाएंगे।
- . रियायतग्राही या उनके कर्मचारियों के कर्मियों को उचित हवाईअड्डा प्रवेश परमिट जारी किया जाना चाहिए और पास जारी करने से पहले पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जाना चाहिए।
- . टर्मिनल एयरसाइड संचालन / सुरक्षा को एक संप्रभु कार्य माना जाता है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (आव्रजन ब्यूरो) को उपयोगिता / बिजली शुल्क / निजी पक्ष के साथ द्विपक्षीय समझौतों से छूट दी जाएगी। सरकारी कार्यों के निष्पादन पर कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं है।

भारत सरकार	रियायतग्राही

- **जिसके विषय में साक्ष्य स्वरूप** पक्षों ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन को ऊपर लिखी गई तिथि और वर्ष को निष्पादित कराया है:

भारत सरकार की ओर से: श्री राजीव नयन चौबे सचिव, नगर विमानन मंत्रालय,भारत सरकार	**साक्षी** : अरुण कुमार संयुक्त सचिव, नगर विमानन मंत्रालय
रियायतग्राही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से: डॉ. जीवीके रेड्डी अध्यक्ष, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	**साक्षी** : आर के जैन सीईओ, एमआईएएल